

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
निष्पादन वर्ष 2019
NATIONAL SAFETY AWARDS
Performance Year – 2019

निर्देश पत्र / INSTRUCTION SHEET

1. विस्तार-क्षेत्र: योजनाएं XI और XII सभी मुख्य पत्तनों पर काम करने वाले नौभरक, पत्तन प्राधिकारियों और अन्य नियोक्ताओं पर लागू है।
SCOPE: Scheme XI & XII are applicable to Stevedores, Port Authorities and other employers of all the major ports.

2. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का आधार:
BASIS OF NATIONAL SAFETY AWARDS

योजना XI : पोत पर काम करने के लिए (निम्नतम औसत आवृत्ति दर पर आधारित)
Scheme XI : For work on Ships (Based on Lowest Average Frequency Rate)

भारी तेलवाहक छोड़कर, पोत पर किसी भी कार्गो को संचालित करने वाले उन नियोक्ताओं को तीन पुरस्कार दिए जाते हैं, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों की अवधि में निम्नतम औसत आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करते हैं। एक पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 1,00,000 श्रम घंटे कार्य करते हैं। दूसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो लगातार तीन वर्षों में से हरेक वर्ष के दौरान कम से कम 50,000 श्रम घंटे, लेकिन 1,00,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं और तीसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो लगातार तीन में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 25,000 श्रम घंटे, लेकिन 50,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं। प्रत्येक समूह के अंतर्गत हरेक विजेता और उप विजेता को एक शील्ड दी जाती है। पुरस्कार विजेताओं को एक योग्यता प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।

Provides for the grant of three awards to employers handling any cargo, except bulk oil on board the ship who achieves the lowest average weighted frequency rate of accidents over a period of three consecutive years ending in the performance year. One award is for employers who work a minimum of 1,00,000 man hours during each of the three consecutive years ending in the performance year. The second award is for employers who work a minimum of 50,000 man hours but less than 1,00,000 man hours and the third award is for employers who work a minimum of 25,000 man hours but less than 50,000 man hours during each of the three consecutive years. Under each group a shield is given to each of the winner and the runner-up. A certificate of merit is also given to the award winners.

योजना XII : तट पर काम करने के लिए (निम्नतम औसत आवृत्ति दर पर आधारित)
Scheme XII : For work on Shore (Based on Lowest Average Frequency Rate)

तट पर स्थित पत्तन प्राधिकारियों सहित, उन नियोक्ताओं को तीन पुरस्कार दिए जाते हैं, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों की अवधि में निम्नतम औसत आकलित दर प्राप्त करते हैं। एक पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2,50,000 श्रम घंटे कार्य करते हैं। दूसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो लगातार तीन वर्षों में से हरेक वर्षों के दौरान कम से कम 100,000 श्रम घंटे, लेकिन 2,50,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं और तीसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है जो लगातार तीन में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 25,000 श्रम घंटे, लेकिन 100,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं। प्रत्येक समूह के अंतर्गत हरेक विजेता और उप विजेता को एक शील्ड दी जाती है। पुरस्कार विजेताओं को एक योग्यता प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।

Provides for the grant of three awards of employers handling any cargo, except bulk oil on shore the ship who achieves the lowest average weighted frequency rate of accidents over a period of three consecutive years ending in the performance year. One award is for employers who work a minimum of 2, 50,000 man hours during each of the three consecutive years ending in the performance year. The second award is for employers who work a minimum of 100,000 man hours but less than 2,50,000 man hours and the third award is for employers who works a minimum of 25,000 man hours but less than 100,000 man hours during each of the three consecutive years. Under each group a shield is given to each of the winner and the runner-up. A certificate of merit is also given to the award winners.

3. निष्पादन वर्ष / PERFORMANCE YEAR

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2018 के लिए निष्पादन वर्ष 2019 (01 जनवरी - 31 दिसंबर, 2019) होगा।

The performance year for National Safety Awards 2019 will be 2019 (01 January – 31December 2019)

4. पुरस्कार/ PRIZE

हरेक योजना के अंतर्गत हर पुरस्कार दिए जाएंगे। योजना XI और XII में तीन (3) पुरस्कार देने का प्रावधान है, हरेक पुरस्कार के तहत, विजेता एवं उपविजेता को एक शील्ड एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

The National Safety Awards under each Scheme will be granted every year. The Scheme XI & XII provides for the grant of three (3) Awards. Under each Award, the Winner and Runner up will be presented a Shield and a Certificate of Merit.

5. पुरस्कार समिति/ AWARDS COMMITTEE

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के न्यायनिर्णयन देने के लिए एक त्रिपक्षीय पुरस्कार समिति का गठन करेगा। इस समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे, जिनका चयन मुख्यतः उनकी तकनीकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। इन पुरस्कारों के बारे में पुरस्कार समिति का निर्णय भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अनुमोदन के बाद होगा और यह निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार समिति किसी भी कारण से, जिसे वह उचित समझे, पुरस्कार की संख्या कम कर सकती है या अनुसूची में दिए गए किसी भी पत्तन / कंपनी को पुरस्कार न देने का फैसला कर सकती है।

The Ministry of Labour & Employment shall constitute a Tripartite Award Committee to scrutinize and adjudge the applications received for the grant of the National Safety Awards. This committee shall consist of not less than five members selected solely on the basis of their technical ability and experience. Any decision of the Awards Committee in respect of prizes shall be subject to the approval of the Government of India, Ministry of Labour & Employment, whose decision shall be final. The Committee may reduce the number of awards or decide not to give an award to any of the ports/companies for any reason it may consider fit.

6. प्रवेश शुल्क/ ENTRY FEE

- 1) हरेक योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के लिए 200/- ₹. मूल्य का आवेदन शुल्क का भुगतान www.bharatkosh.gov.in (वित्त मंत्रालय का गैर-कर प्राप्ति पोर्टल) के माध्यम से आनलाइन किया जा सकता है। रसीद की हार्ड कॉपी आवेदन पत्र के साथ भेजी जाए। आवेदन शुल्क का भुगतान होने के बाद उसे वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क के लिए कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी।

Application fees payment to be done online through www.bharatkosh.gov.in (Non-tax receipt portal by Ministry of Finance). Hard copy of receipt is required to be send along with application form. Application fees payment once paid cannot be refunded. No receipt will be issued for the application fees.

7. आवेदनपत्र प्रस्तुत करना/ SUBMISSION OF APPLICATION FORM

श्रम घंटों एवं दुर्घटनाओं संबंधित सूचना को, अपने पत्तन के गोदी सुरक्षा निरीक्षक से आवेदनपत्र की मद संख्या 6 पर दिए गए प्रमाणपत्र में आवश्यक सत्यापन करवाने के बाद, भरे हुए आवेदनपत्र आवश्यक डिमांड ड्रापट सहित निम्न पते पर अंतिम तारीख (31.12.2020) तक या उससे पहले भेज दे:

सचिव
'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति'
कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर - 47 फरीदाबाद
हरियाणा - 121010.
टेलीफोन - 0129-2468033, 0129-2468044
फेक्स - 0129-2468219
ईमेल - rlifaridabad@dghasli.nic.in

Duly filled in Application Form after necessary verification of the information pertaining to man-hours and accidents from the Dock Safety Inspector having jurisdiction over your port in a certificate given under item No.6 of the application form along with required demand draft should be sent on or before the closing date 31.12.2020 to:

**THE SECRETARY
NATIONAL SAFETY AWARDS COMMITTEE
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE CAMPUS
SECOR-47, FARIDABAD
HARYANA-121010.
Telephone No. – 0129-2468033, 0129-2468044
Fax No. 0129-2468219.
Email – rlifaridabad@dghasli.nic.in**

टिप्पणी: किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

NOTE: Incomplete application form in any manner is liable to be rejected.

8. यह आवेदनपत्र डीजीफासली की वेबसाइट www.dghasli.nic.in पर भी उपलब्ध है।
This application form is also available on the website of DGFASLI. www.dghasli.nic.in

फॉर्म- रा.सु.पु: पत्तन एवं गोदी आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31.12.2020
FORM – NSA: PORTS & DOCKS Last date for receipt of application: 31.12.2020

भारत सरकार / श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA / MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार-निष्पादन वर्ष 2019 के लिए आवेदन पत्र
APPLICATION FOR NATIONAL SAFETY AWARDS (NSA)

Performance Year – 2019

पत्तनों के लिए योजनाएं / SCHEMES FOR PORTS

आवेदन प्रपत्र जिसमें www.bharatkosh.gov.in (वित्त मंत्रालय का गैर-कर प्राप्ति पोर्टल) के माध्यम से आनलाइन भुगतान का ब्यौरा सहित निम्नलिखित सूचना का उल्लेख किया गया हो, सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति, डी.जी.फा.स.ली., क्षेत्रीय श्रम संस्थान परिसर, सेक्टर.47, फरीदाबाद, हरियाणा - 121010 को दिनांक 31.12.2020 तक पहुंच जाना चाहिए।

This form giving the particulars specified below alongwith the, details of transaction ID of online payment of Rs 200/- through www.bharatkosh.gov.in (Non-tax receipt portal by Ministry of Finance) shall be forwarded the Secretary, National Safety Awards Committee, Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Regional Labour Institute campus, Sector-47, Faridabad-121010, not later than the closing Date 31.12.2020.

टिप्पणी:

- (i) आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया निर्देश पत्र ध्यान से पढ़ें।
- (ii) कृपया सूचना प्रत्येक मद/कॉलम में टाईप करके भेंजे।
- (iii) जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें।
- (iv) जो आवेदन पत्र अपूर्ण होगा या जिसमें पूरी सूचना नहीं दी जाएगी, उसे खारिज कर दिया जाएगा।
- (v) संख्या 2,3,4 और 5 में दिए गए तथ्यों एवं आंकड़ों की प्रामाणिकता के लिए, अपने पत्तन के गोदी सुरक्षा निरीक्षक से उन्हें आवेदनपत्र की पृष्ठ संख्या 3 की मद संख्या 6 पर दिए गए प्रमाणपत्र में सत्यापित एवं प्रमाणित करवाएं।
- (vi) यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत और असत्य पाई जाती है तो इन योजनाओं में भाग लेने के लिए ऐसी कंपनी को पाँच वर्षों के लिए प्रतिषेध कर दिया जाएगा।

NOTE :

- (i) Before filling up the application form, please read the instruction sheet carefully.
- (ii) Please type the information against all the items/columns.
- (iii) Please strike out whichever is not applicable.
- (iv) Applications, which are incomplete or without full information are liable to be rejected.
- (v) For authenticity, the facts and figures furnished in items no. 2,3,4 and 5 after due verification should be certified by the Dock Safety Inspector having jurisdiction over your port in the certificate at item no.6 page no.3 of the application form.
- (vi) If the information furnished in the application form if found incorrect, false or misleading at any point of time such companies shall be debarred from participation in this scheme for five years.

1. संगठन के बारे में जानकारी / INFORMATION ABOUT THE ORGANISATION:

फोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) , फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी के साथ संगठन का नाम और पता Name and address of the Organization with telephone No. (With S.T.D.), FAX No. & E-mail ID	यदि फरीदाबाद का पता हो तो फोन नं. फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी, Faridabad address, if any with telephone No. Fax No. & E-mail ID
मोबाइल नं. / फोन नं. एसटीडी कोड के साथ संपर्क व्यक्ति का विवरण Details of the contact person with Mobile phone /phone with STD code.	फरीदाबाद त्त में संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं. / फोन नं. Details of contact person in Faridabad with Mobile No. / Phone No.

योजना संख्या / Scheme No. XI / XII

- जिसके लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पुरस्कार योजना की संख्या पर चिह्न लगाएं।
- Please tick mark the number of the Awards Scheme for which the application is submitted.
- योजना संख्या .XI पोत पर काम करने के लिए है और योजना संख्या XII तट पर काम करने के लिए है।
- Scheme No. XI is meant for work on board the ship & Scheme No. XII is meant for work on shore.

2.

पिछले तीन वर्षों के दौरान कामगारों की औसत संख्या {यह सूचना गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम, 1986) के अनुसार होनी चाहिए} Average Number of Workers during the last three years {As per the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986}	2017	2018	2019

3.

उपर्युक्त मद संख्या 2 में परिभाषित कामगारों द्वारा किए गए कार्य के कुल श्रम घंटे Total man-hours worked by the workers as given in item No. 2 above.	2017	2018	2019

4.

गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम, 1986 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या। Number of Accidents during the last three years Reportable under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986 & the Regulations framed there under.	वर्ष Year	सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या। Number of reportable accidents		
		क) घातक a) Fatal	* ख) पूर्ण स्थाई विकलांगता b) Permanent total disability	ग) अघातक c) Non-fatal
	2017			
	2018			
	2019			

* पूर्ण स्थायी विकलांगता का अर्थ ऐसी दुर्घटना से है, जिससे कामगार की कमाने की क्षमता की पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।

* Total permanent disability means such accident cases, which lead to total loss of earning capacity of the worker.

5.

वर्ष Year	घातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति दर Weighted frequency rate Of fatal accidents**	पूर्ण स्थाई विकलांगता दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति Weighted Frequency rate of permanent total disability**	अघातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति Weighted Frequency Rate of non-fatal accidents**	कुल दुर्घटनाओं की मूल्यांकित आवृत्ति दर (नं. 2, 3 व 4 का योग) Weighted Frequency rate of all accidents (sum of Col.2, 3 & 4)	तीन वर्षों की औसत आवृत्ति दर Average Frequency Rate over a period of 3 years
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019					

** आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र संलग्न निर्देश पत्र में दिया गया है।

The formula for calculating the Weighted Frequency Rate is given in enclosed instruction sheet.

आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

अघातक दुर्घटनाओं के लिए = $\frac{\text{अघातक दुर्घटनाओं की संख्या}}{\text{वर्ष के दौरान श्रम घंटे}} \times 10^6$

वर्ष के दौरान श्रम घंटे

आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

घातक दुर्घटनाओं के लिए = $\frac{\text{घातक दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10 \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रम घंटे}}$

वर्ष के दौरान श्रम घंटे

स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए = $\frac{\text{स्थायी पूर्ण विकलांगता की दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10 \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रम घंटे}}$

टिप्पणी : अघातक दुर्घटना वह दुर्घटना है, जिसमें अक्षमता 48 घंटे या अधिक समय तक रहती है।

FORMULA FOR CALCULATING FREQUENCY RATE

For Non-fatal accidents = $\frac{\text{No. of reportable non-fatal accidents}}{\text{Man hours worked during the year}} \times 10^6$

FORMULA FOR CALCULATING WEIGHTED FREQUENCY RATE

For fatal accidents = $\frac{\text{No. of reportable fatal accidents} \times 10 \times 10^6}{\text{Man hours worked during the year}}$

$$\text{For PTD} = \frac{\text{No. of reportable accidents for PTD} \times 10 \times 10^6}{\text{Man hours worked during the year}}$$

Note: A reportable non-fatal accident is an accident which causes disability for 48 hours or more.

6. पत्तन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोदी सुरक्षा निरीक्षक द्वारा सत्यापन

मद संख्या 2, 3, 4 और 5 में दी गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और वे सही पाए गए। इसके अलावा वर्ष 2018 के दौरान गोदी सुरक्षा कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के उपबंधों का पत्तन / कंपनी ने कोई उल्लंघन नहीं किया है।

6. VERIFICATION BY DOCK SAFETY INSPECTOR HAVING JURISDICTION OVER THE PORT

The information and data given under item 2,3,4 & 5 are certified by me and found to be correct. Further, the port trust/company/installation has not been convicted for any breach of provisions under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986 and the Regulations framed there under, during the year 2018.

तारीख/ Date:

स्थान/ Place:

गोदी सुरक्षा निरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
Name & Signature of the Dock Safety Inspector

कार्यालय की मोहर
Office Seal

7. प्रवेश शुल्क के विवरण ENTRY FEE DETAILS

योजना क्रमांक/ SCHEME NO	संचालन आई डी सं Transaction ID	दिनांक Date	राशि Amount	टिप्पणी यदि कोई Remark If any
(1) योजना XI पोत पर काम के लिए) SCHEME XI (for work on ships)				
(2) योजना XII (तट पर काम के लिए) SCHEME XII (for work on shore)				

* डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा उस योजना के अंतर्गत भरें, जिसके लिए आवेदनपत्र भेजा गया है। योजना की संख्या पर भी (✓) चिह्न लगाएं)

(Fill up the details of the demand draft against that Scheme under which the application is submitted.

Also tick mark (✓) the scheme number)

प्रमाणपत्र

CERTIFICATE

8. मैं प्रमाणित करता हूँ कि/

I certify that:-

(i) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचनाएं सही हैं।

The information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief.

(ii) यह पत्तन / कंपनी, निष्पादन वर्ष 2019 के दौरान सुरक्षा के लिए बनाए हुए किसी भी कानून को तोड़ने के लिए दंडित नहीं हुआ है।

The port/company has not been convicted for breach of any of the statutory safety provisions during the performance year 2019

(iii) इस आवेदन पत्र में दिया हुआ ब्यौरा एक समिति द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया है। यह समिति इसी कार्य के लिए प्रबंधन द्वारा गठित की गई है और इसमें कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल है।

The details furnished have been scrutinized and approved by a Committee assigned for the purpose by the management, which has a worker representative.

घोषणा / DECLARATION

हम यह घोषणा करते हैं कि यदि पत्तन न्यास/कंपनी विजेता घोषित की जाती है, तो वह पुरस्कार" पुरस्कार समारोह के दौरान ग्रहण करेगी।

We hereby declare that in case the port trust/company is adjudged as a winner/runner up, the award will be received by the company during the Award Function.

तारीख / Date:

स्थान / Place

प्राधिकृत प्रबंधक का नाम और हस्ताक्षर
Name & signature of Authorised Manager

कार्यालय की मोहर
Office Seal

टिप्पणी : कार्यालय की सील/मोहर के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
Note: Without office seal/stamp the application shall be rejected.